मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 04.10.2012 को सम्पन्न उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की संचालन समिति की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्तः—

उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की चतुर्थ बैठक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 04.10.2012 को मुख्य सचिव सभागार, सचिवालय उत्तराखण्ड, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित सदस्यों/अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः—

1.	श्री आलोक कुमार जैन, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	अध्यक्ष
2.	श्री एस0रामास्वामी, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण तथा प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3	श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
4	श्री आर0बी0एस0 रावत, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य
5.	श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।	सदस्य
6.	श्री आजम ज़ैदी, अपर प्रमुख वन संरक्षक, केन्द्रीय (मध्य क्षेत्र), लखनऊ (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि)	सदस्य
7.	श्री एम.सी. जोशी, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	विशेष आमंत्री
8.	श्री सुशांत पटनायक, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	विशेष आमंत्री
9.	श्री वीरेन्द्र सिंह, सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	विशेष आमंत्री
10.	श्री विजय कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा	सदस्य सचिव

सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति के अध्यक्ष, सदस्यों तथा उपस्थित आमंत्रियों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक आरम्भ की गईः—

कार्यसूची 4.1: राज्य कैम्पा की संचालन समिति की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :— राज्य कैम्पा की दिनांक 16.05.2011 को सम्पन्न हुई तृतीय संचालन समिति की बैठक के कार्यवृत्त को समिति के समक्ष रखा गया। जिसकी सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

कार्यसूची संचालन समिति—4.2: दिनांक 16.05.2011 को सम्पन्न हुई तृतीय संचालन समिति की बैठक में उभरे बिन्दुओं पर अनुपालन :—

दिनांक 16.05.2011 को सम्पन्न हुई राज्य कैम्पा की संचालन समिति की तृतीय बैठक में उभरे बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या का प्रस्तुतिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति के समक्ष किया गया। अनुपालन के निम्नांकित बिन्दुओं पर बिन्दुवार समिति द्वारा निम्नानुसार निर्देश/अनुमोदन प्रदान किए गए :—

1. सदस्यगणों के संज्ञान में लाया गया कि संचालन समिति की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की कार्य सूची संख्या 3.8.8 (4) पर भारत सरकार की राज्य कैम्पा के सम्बन्ध में 02.07.2009 की गाइडलाइन के Overarching Objectives & Core Principles के अनुपालन में निरीक्षण व सुरक्षा डयूटी हेतु Forest Range level तक वाहन उपलब्ध कराने के लिए कैम्पा निधि से 44 वाहन क्रय करने के संचालन समिति के सैद्धान्तिक अनुमोदन उपरान्त सचिव, वन एवं पर्यावरण की अध्यक्षता में (अपर सचिव, वित्त सहित) गठित तीन सदस्यीय समिति ने संचालन समिति के निर्देशों के क्रम में परीक्षण कर पाया कि उक्त वाहन राज्य सरकार के बजट में अंतिरिक्त

भार के रूप में शामिल नहीं होंगे तथा इन वाहनों के क्रय, PoL, अनुरक्षण आदि पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय कैम्पा निधि से वहन किया जायेगा एवं राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार निहित नहीं होगा।

तीन सदस्यीय समिति के उक्त परीक्षण एवं तदोपरान्त सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त वन विभाग स्तर पर संवेदनशील रेंजों हेतु उक्त 44 वाहन क्रय को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा समस्त फील्ड वाहनों में Location Tracking System लगाकर मुख्यालय से जोड़ने हेतु निर्देश दिए गए।

(कार्यवाहीः अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

2. सदस्यगणों के संज्ञान में लाया गया कि संचालन समिति की तृतीय बैठक की कार्य सूची संख्या 3.12 पर उत्तराखण्ड कैम्पा के सुचारू संचालन हेतु संस्था (उत्तराखण्ड कैम्पा) में संविदा/प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने हेतु 22 पदों व उनके ToR का अवलोकन कर उत्तराखण्ड कैम्पा के संगम अनुच्छेद के नियम–52 के अनुसार पदों के सृजन की स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान किये जाने के उपरान्त दिये गये निर्देशों के क्रम में सचिव, वन एवं पर्यावरण की अध्यक्षता में (अपर सचिव–वित्त सहित) गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा में संविदा/प्रतिनियुक्ति/Service Provider से भरे जाने वाले 22 पदों के सृजन के सम्बन्ध में अध्ययन करने पर पाया कि भारत सरकार के दिनांक 02.07.2009 के दिशा–निर्देश के पैरा –11 (ii) एवं उत्तराखण्ड कैम्पा के संगम अनुच्छेद (Memorandum of Association) के अनुसार कैम्पा निधि से अर्जित ब्याज की धनराशि से संस्था द्वारा प्रबन्धन व प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन किए जाने का प्राविधान है तथा इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं होगा।

उक्त तीन सदस्यीय समिति द्वारा मत रखा गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा में प्रस्तावित पदों का सृजन नितान्त अस्थाई रूप से किया जाएगा ताकि अगर किन्हीं परिस्थितियों में भारत सरकार द्वारा कैम्पा योजना समाप्त कर दिये जाने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति में कार्यरत कार्मिकों को अपने मूल विभाग/संस्था में प्रत्यावर्तित किया जाएगा एवं संविदा/सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सेवा समाप्त समझी जाएगी।

उक्त तीन सदस्यीय समिति द्वारा यह भी पाया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा हेतु प्रस्तावित पदों के अंतर्गत 5 पद Managerial स्तर के तथा अवशेष पद लेखा/सहायक/चतुर्थ श्रेणी स्तर के हैं। इन समस्त पदों को प्रतिनियुक्ति/संविदा/सर्विस प्रोवाइडर से भरा जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त के क्रम में समिति द्वारा चर्चा उपरान्त उत्तराखण्ड कैम्पा के नियम 52 के अनुसार उपरोक्त 22 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि संविदा पर रखे जाने वाले कार्मिकों के लिए संविदा (Contract) का कार्यकाल 3 वर्ष का होना चाहिए, जिसकी अवधि कुल पॉच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। संविदा (Contract) के स्टॉफ के एक मुश्त मानदेय को उनके अनुभव की अवधि से Link किया जाये। कार्यालय स्टाफ एवं वाहन चालक इत्यादि को Outsourcing के माध्यम से रखा जाये।

(कार्यवाहीः मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

3. समिति के संज्ञान में लाया गया कि संचालन समिति की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की कार्यसूची 3.10(i) पर किये गये अनुमोदन के अनुपालन में उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय से समस्त कार्यान्वयन अभिकरणों/वन प्रभागों को उनके राष्ट्रीकृत बैंक में खोले गये खातों में वर्ष 2011–12 के APO के सापेक्ष सीधे RBI के RTGS के माध्यम से धनराशि अवमुक्त की जा रही है। इस क्रम में समिति द्वारा निर्देश दिये

गये कि उत्तराखण्ड कैम्पा के MIS में Achivement की विधिवत सूचना भरे जाने को धनराशि अवमुक्त करने से Link किया जाये।

(कार्यवाही: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, समस्त वन संरक्षक/निदेशक एवं समस्त कार्यान्वयन अभिकरण/प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक)

4. संचालन समिति की तृतीय बैठक की कार्यसूची 3.10(iv) के क्रम में उत्तराखण्ड कैम्पा के MIS को प्रभावी रूप से अपनाये जाने तथा MIS के सुचारू संचालन हेतु डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का मानदेय भुगतान Operational Expenses के अन्तर्गत कैम्पा निधि से किये जाने हेतु समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। Oursourcing/Service Provider के माध्यम से ली जाने वाली सेवाओं का स्पष्ट ToR (Terms of Reference) इंगित किया जाय जिसमें Tally सम्बन्धित कार्य भी शामिल कर लिया जाय।

(कार्यवाही: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, समस्त वन संरक्षक/निदेशक एवं समस्त कार्यान्वयन अभिकरण/प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक)

5. संचालन समिति की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की कार्यसूची 3.11 के अनुपालन के क्रम में समिति के संज्ञान में लाया गया कि प्रभाग स्तर पर Tally Accounting Software Install कराया जा चुका है तथा Outsourcing के माध्यम से समस्त कार्यान्वयन अभिकरणों के वर्ष 2010–11 एवं वर्ष 2011–12 के लेखा की Tally Software में प्रविष्टि का कार्य प्रगति पर है। इस क्रम में समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि Tally Software को Customise कराते हुऐ रेंज स्तर की Voucher level तक की प्रविष्टि सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूर्ण कराई जाए। इस सम्बन्ध में आउटसोर्सिंग से सेवा प्रदाता के माध्यम से लेखाकारों/सहायक लेखाकारों की व्यवस्था पर विचार किया जाये।

(कार्यवाही: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, समस्त वन संरक्षक/निदेशक एवं समस्त कार्यान्वयन अभिकरण/प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक)

6. संचालन समिति की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की कार्यसूची 3.8.4 के अनुपालन के क्रम में समिति के संज्ञान में लाया गया कि भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में CUG प्लान पर होने वाले व्यय का वहन Capital Fund के बजाये CAMPA निधि पर अर्जित ब्याज से किया जा रहा है तथा वर्तमान तक 2952 संयोजन उपयोग में है। कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज से व्यय में दीर्घकालीन Committment के रूप में CUG Plan व उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के प्रबन्धन पर व्यय के अतिरिक्त कैम्पा निधि से क्रय होने वाले वाहनों के PoL आदि पर होने वाला व्यय भी जुड़ेगा, इसको संज्ञान में लेते हुऐ समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि CUG प्लान के संयोजनों को 3000 की सीमा तक सीमित रखा जाये तथा जिन क्षेत्रों में Connectivity नहीं है उनके संयोजन Disconnect करा दिये जायें।

(कार्यवाही: मुख्य वन संरक्षक–प्रशासन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

<u>कार्यसूची संचालन समिति 4.2</u> उत्तराखण्ड कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2010–11 के कार्यों की वार्षिक लेखा परीक्षा की स्थिति:–

(1) समिति के संज्ञान में लाया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2010–11 के कार्यों की वार्षिक लेखा परीक्षा का कार्य CA फर्म M/s Sindhwani & Associates के द्वारा किया गया। उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाइटी का वर्ष 2010–11 की Balance Sheet का अनुमोदन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा से प्राप्त कर उत्तराखण्ड कैम्पा का वर्ष 2010–11 का आयकर रिटर्न दाखिल किया गया।

उत्तराखण्ड कैम्पा के संगम अनुच्छेद के बिन्दु सं०20(3)(घ) में संचालन समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट और अंकेक्षित लेखों की स्वीकृति किये जाने का उल्लेख है। इस क्रम में **उत्तराखण्ड कैम्पा की वित्तीय वर्ष 2010–11 की Balance Sheet तथा Management Letter का अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**

(2) CA फर्म M/s Sindhwani & Associates के द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2010–11 के कार्यों की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कार्यान्वयन अभिकरणों/वन प्रभागों के स्तर पर उत्तराखण्ड कैम्पा के लेखा रखरखाव में पाई गई कमियों के सारांश के नोट पर संचालन समिति द्वारा संजीदा संज्ञान लिया गया एवं चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि CA firm द्वारा इंगित कमियों/अनियमित्ताओं का समाधान किया जाय एवं Systemic reform किया जाय। रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया उत्तराखण्ड कैम्पा के प्रभाग स्तर पर विभिन्न कमियों सहित लेखा रखरखाव में अनियमितता की जानी भी प्रतीत होती है। अतः कैम्पा निधि के फील्ड में उपयोग व लेखा रखरखाव में अनुशासन लाए जाने की सख्त आवश्यकता है जिसे वन विभाग के लिए एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। वर्तमान में प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्र बैंक की सुविधाओं से अच्छादित है इस क्रम में कैम्पा फण्ड के उपयोग हेतु रेंज/फील्ड स्तर पर रेंज अधिकारी का खाता खुलवाया जाये तथा कैश भुगतान बन्द कर नियमानुसार चैक के माध्यम से भुगतान कराये जाये। प्रदेश में मनरेगा में 100 प्रतिशत चैक से भुगतान किया जा रहा है।

(कार्यवाहीः समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/निदेशक–राष्ट्रीय पार्क/कार्यान्वयन अभिकरण/प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड)

कार्यसूची संचालन समिति–4.3: वित्तीय वर्ष 2011–12 की बैलेन्स शीट का अनुमोदन

समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा के संगम अनुच्छेद के बिन्दु संख्या–29 के क्रम में उत्तराखण्ड कैम्पा निधि से वर्ष 2011–12 में किये गये कार्यो का CAG Empanelled CA Firms से आन्तरिक लेखा परीक्षा उपरान्त प्राप्त Draft Balance Sheet के आधार पर मुख्य सचिव महोदय एवं अध्यक्ष–संचालन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर संस्था का वर्ष 2011–12 का आयकर रिटर्न दाखिल किया जा चुका है। उत्तराखण्ड कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2011–12 के कार्यों की वार्षिक लेखा परीक्षा उपरान्त प्राप्त Final Balance Sheet, Management Letter एवं Audit Observations समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किए गये।

वर्ष 2011–12 की कैम्पा की Balance Sheet का अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया वर्ष 2011–12 की वार्षिक लेखा परीक्षा के Observations का अवलोकन कर समिति द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिए गये कि–

1. लेखा परीक्षा में इंगित कमियों /अनियमित्ताओं का समाधान शीघ्र किया जाये, जिस हेतु वित्त नियंत्रक–वन विभाग को involve किया जाये। भविष्य में अधिप्राप्ति, वित्तीय Transactions एवं लेखा रखरखाव कार्य सुचारू व नियमानुसार सम्पादन सुनिश्चित करने के लिए वित्त नियंत्रक का प्रत्येक स्तर पर सकिय योगदान प्राप्त किया जाये।

(कार्यवाहीः वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

2. सचिव–वित्त, उत्तराखण्ड शासन के स्तर से वन विभाग, उत्तराखण्ड में अधिप्राप्ति, वित्तीय Transactions व लेखा रखाव में अपेक्षित गुणवत्ता एवं सुधार लाने हेतु एक Diagnostic Study करवाई जाय जिसके आधार पर लेखा रखरखाव कार्य से जुड़े कार्मिकों के क्षमता विकास एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–7 के प्राविधानों को यथासम्भव Re-invent, Re-define कर अग्रेत्तर नीतिगत एवं क्रियान्वयन रणनीति बनाई जा सके।

(कार्यवाही: प्रमुख सचिव–वन एवं पर्यावरण तथा सचिव–वित्त, उत्तराखण्ड शासन व अपर प्रमुख वन संरक्षक–नियोजन व वित्तीय प्रबन्धन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

3. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यों का सम्पादन करवाया. जाय।

(कार्यवाही: वन संरक्षक/निदेशक–राष्ट्रीय पार्क/समस्त कार्यान्वयन अभिकरण/प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक)

4. TALLY (Double Entry Accounting System) एवं CAMPA MIS (Management Information System) को Range Level तक functional बनाया जाय। विगत 2 वर्षों (APO 2010-11 एवं APO 2011-12) की Tally में Voucher level entry उच्च प्राथमिकता पर समस्त कार्यान्वयन अभिकरणों में पूर्ण कराई जाय। वर्ष 2012–13 के APO के सम्बन्ध में भी तदनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही: मुख्य कार्यकारी अधिकारी–उत्तराखण्ड कैम्पा, समस्त वन संरक्षक/निदेशक एवं समस्त कार्यान्वयन अभिकरण/प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक)

कार्यसूची संचालन समिति–4.4: उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2011–12 के सापेक्ष माह जून, 2012 तक की प्रगति तथा अवमुक्त कैम्पा निधि के उपयोग उपरान्त शेष धनराशि को वर्ष 2012–13 हेतु Carry Forward करने के सम्बन्ध में :–

समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2011–12 की **रूपये 11116.46 लाख** की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष माह जून, 2012 तक **रूपये 7585.97 लाख** की धनराशि अवमुक्त की गई। उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यक्ररी समिति की सप्तम बैठक दिनांक 15.06.2012 को उक्त वार्षिक कार्ययोजना के कार्यों को 30 जून, 2012 को Freeze करने का निर्णय लिया गया। कैम्पा MIS में कार्यान्वयन अभिकरणों के स्तर से की गई प्रविष्टि के आधार पर उक्त अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वित्तीय प्रगति **रूपये 6205.75 लाख** है। इस क्रम में वर्ष 2011–12 के APO के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि रु. 7585.97 लाख में से अवशेष रु. 1380.22 लाख की धनराशि को वर्ष 2012–13 के APO के सापेक्ष उपयोग करने हेतु सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण को Carry Forward करने हेतु समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची संचालन समिति–4.5 स्वीकृत APO 2011–12 के संशोधन का अनुमोदन :–

उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत दिनांक 16.05.2011 को संचालन समिति द्वारा रु. 11166.47 लाख की वार्षिक कार्ययोजना (APO) 2011–12 का अनुमोदन प्रदान किया। इस क्रम में कार्यान्वयन अभिकरणों के स्तर पर माह मई, 2012 तक की क्रियान्वयन की प्रगति का संज्ञान लेते हुए माह जून, 2012 तक अवमुक्त धनराशि (रु.7585.97 लाख) की सीमा तक संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2011–12 जो कि उत्तराखण्ड कैम्पा की सप्तम कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है, को समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

संचालन समिति द्वारा उक्त रु. 7585.97 लाख की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2011–12 का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: समस्त वन संरक्षक/निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं समस्त कार्यान्वयन अभिकरण/प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक)

कार्यसूची संचालन समिति–4.6: भारत सरकार को 2 वर्ष की प्रगति रिपोर्ट भेजने के सम्बन्ध में:–

CAMPA Funds – monitoring issues विषयक वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 17.05.2012 के माध्यम से कैम्पा निधि के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक त्रैमास की अन्तिम तिथि अर्थात् क्रमशः 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर एवं 31 दिसम्बर तक की रिपोर्ट अनुवर्ती माह की अन्तिम तिथि तक भारत सरकार को प्रेषित किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस क्रम में उत्तराखण्ड कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना 2010–11 एवं 2011–12 के सापेक्ष माह जून, 2012 तक किए गए कार्यों की भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी प्रगति सूचना संचालन समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई, जिस पर समिति द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई।

(कार्यवाही: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची संचालन समिति–4.7: भारत सरकार को प्रेषित Proposed Note for Consideration का अनुमोदन :–

उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत वर्ष 2011–12 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (MoEF), भारत सरकार से दिनांक 18.10.2011 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा की चर्चा हुई तथा इस क्रम में भारत सरकार से प्राप्त पत्र संख्या–15-2/2010-11(UK) दिनांक 20.10.2011 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा NPV घटक के अंतर्गत कतिपय कार्यमदों पर Re-examination एवं Elucidation/Justification के निर्देश दिए गये जिसके क्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के द्वारा पत्रांक–217/4–1 दिनांक 30.05.2012 के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किए गए Proposed Note for Consideration को समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा अवलोकन कर उक्त Proposed Note for Consideration को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची संचालन समिति–4.8: भारत सरकार से कैम्पा निधि के अंतर्गत कतिपय कार्यों को न करने के सम्बन्ध में :–

समिति को अवगत कराया गया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–15-2/2011-CAMPA(UK) दिनांक 25.06.2012 के माध्यम से ईको–टूरिज्म की प्रकृति की गतिविधियों सहित निम्नांकित गतिविधियों को कैम्पा निधि के अंतर्गत न किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं :–

(a) Creation of artificial lakes ["rejuvenation of water sources & creation of water bodies for recharging of aquifers/eco tourism"];
(b) Van Panchayat strengthening by sanction of funds to Panchayats/Pine needles collection and its different uses – briquetting machines, community-to-community exchanges;
(c) Financing of common facility Centres;
(d) Provision of telecom facilities;
(e) Financing of Platinum Jubilee of Corbett Tiger Reserve;
(f) Purchase of office vehicles, expenditure on drivers, POL etc;
(g) Creation of posts for CAMPA Secretariat.

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के क्रम में समिति के यह भी संज्ञान में लाया गया कि उपरोक्त बिन्दु सं॰ (a), (b), (c) से सम्बन्धित कार्यों का प्राविधान प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना 2012–13 में नहीं किया गया है। बिन्दु सं॰ (e) से सम्बन्धित Event Specific कार्य तत्समय उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के क्रम में कैम्पा निधि से पोषित किया गया। बिन्दु सं॰ (f) से सम्बन्धित कार्य में कैम्पा निधि के अंतर्गत वर्ष 2012–13 के APO में POL व Office vehicles की कार्यमदों में धनराशि का प्राविधान नहीं किया गया है। राज्य कैम्पा हेतु भारत सरकार के दिनांक 02.07.2009 के दिशा–निर्देशों के क्रम में निरीक्षण व सुरक्षा ड्यूटी करने में फील्ड हेतु वाहन Forest Range Level तक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2012–13 के APO में प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। बिन्दु सं॰ (d) से सम्बन्धित कार्यों को कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से पोषित किए जाने का प्राविधान रखा गया है। बिन्दु सं॰ (g) से सम्बन्धित व्यय को भारत सरकार की राज्य कैम्पा गाइडलाइन्स के पैरा–11(ii) के अनुसार कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज से पोषित किए जाने का प्राविधान है, तद्नुसार ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी।

भारत सरकार के उपरोक्त दिनांक 25.06.2012 के पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर Forest Policy 1988, मा॰ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत State CAMPA Guidelines 2009, Indian Forest Act, 1927 एवं वन पंचायत नियमावली, 2005 के सम्बन्धित पैरा के आधार पर Proposed Reply with Legal Provisions का आलेख संचालन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है जिस पर **समिति द्वारा चर्चा कर एडहॉक कैम्पा/भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया एवं निर्देश दिए कि भारत सरकार को उत्तराखण्ड राज्य की प्राथमिकताओं व भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप कैम्पा निधि के सदुपयोग करने के सम्बन्ध में बैठक कर अवगत करायें तथा तद्नुसार सहमति प्राप्त करें। संचालन समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में तथा उत्तराखण्ड के राष्ट्रीय स्तर पर वन/पर्यावरण सम्बन्धी योगदान के परिप्रेक्ष्य में कैम्पा निधि में Pro-rata+ धनराशि अवमुक्त करने हेतु मुख्य सचिव महोदय एवं मा॰ मुख्यमंत्री जी के स्तर से भारत सरकार को अनुरोध पत्र शीघ्र भेजा जाय।**

(कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची संचालन समिति–4.9: प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना 2012–13 का अनुमोदन

समिति को अवगत कराया गया कि भारत सरकार, एडहॉक–कैम्पा से वर्तमान तक उत्तराखण्ड कैम्पा को निम्नानुसार कैम्पा निधि प्राप्त हुई है :–

प्राप्त धनराशि (लाख रु॰ में)		
वर्ष 2009–10 एवं 2010–11	वर्ष 2012–13	योग
16440.20	6531.60	22971.80

उपरोक्त धनराशि में वर्ष 2010–11 व वर्ष 2011–12 की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना क्रमशः रु॰ 5273.74 लाख एवं रु॰ 7585.97 लाख की हैं। कार्यकारी समिति के दिनांक 15.06.2012 के निर्णय के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के अनुमोदन उपरान्त वर्ष 2012–13 की निम्नानुसार घटकवार वार्षिक कार्ययोजना समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई :–

1. NPV घटक	2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण	3. संरक्षित क्षेत्र	4. अन्य (Others)	5. CAT Plan	कुल योग
5406.25 लाख	1500.00 लाख	200.00 लाख	800.00 लाख	2093.75	**10000.00 लाख**

उत्तराखण्ड कैम्पा की सप्तम कार्यकारी बैठक दिनांक 15.06.2012 में उपरोक्त घटकों के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के APO में निम्नांकित मुख्य गतिविधियों के किए गए समावेश का संचालन समिति द्वारा अनुमोदन किया गया :–

1. NPV (Net Present Value) घटक:–

(क) तालिका 1.a (Forest Protection, Infrastructure & Human Resource Development) के अन्तर्गत कार्य

1- भारत सरकार की राज्य कैम्पा के सम्बन्ध में दिनांक 2 जुलाई 2009 की गाईडलाईन के Overarching objectives and core principles (माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमोदित) के अनुपालन में निरीक्षण व सुरक्षा ड्यूटी करने हेतु संवेदनशील 179 वन रेंजों में से 44 वन रेंजों को APO 2011–12 के सापेक्ष 44 वाहन क्रय के प्राविधान के उपरान्त शेष **135 वन रेंजों के लिए वाहनों के क्रय हेतु प्रस्तावित प्राविधान रु.810.00 लाख** को कैम्पा निधि से अर्जित ब्याज के सापेक्ष अगले वर्षो में प्राप्त होने वाली आय को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाये।

(कार्यवाही: अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन)

2- **कार्यमद संख्या–1.a.6.1 में भवन निर्माण** के कार्य के अंतर्गत गढ़वाल, कुमांऊ व वन्य जीव जोन में स्थल विशेष की आवश्यकता को देखते हुए क्रमशः **लगभग 25, 25 व 15 (कुल 65) वन्य जन्तु रक्षक/वन रक्षक चौकी के नव निर्माण हेतु रु.6.00 लाख प्रति भवन की दर से रु. 390.00 लाख** का प्राविधान जिसको कि सम्बन्धित जोन स्तर से Site Specific नियोजन किया जाना शेष है।

(कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल एवं मुख्य वन संरक्षक–कुमांऊ)

(ख) तालिका 1.b (Strengthnening of Wildlife Management) के अन्तर्गत कार्य

1- बंदर जनित समस्या निवारण हेतु डिडोली (चमोली) तथा चिन्ही (टनकपुर) में बन्दरों हेतु ट्रांजिट बाड़े/Rescue Centre के निर्माण (पांच वर्षों हेतु अनुमानित लागत क्रमशः रु.378.00 लाख तथा रु.378.00 लाख) हेतु वर्ष 2012–13 के APO में प्रत्येक Centre के लिए रु. 180.79 लाख की दर से कुल रु. 361.58 लाख की धनराशि का प्राविधान।

2- जैव विविधता बोर्ड के अंतर्गत Community Bio-diversity Register हेतु रु.40.00 लाख का प्राविधान (बोर्ड द्वारा पत्रांक–' 61/जै0वि0बो0–3–1 दिनांक 29.08.2012 के माध्यम से प्रस्तावित वाहन क्रय के प्राविधान को भारत सरकार के पत्रांक–15–2/2011 CAMPA (UK) दिनांक 25.06.2012 के क्रम में समिति द्वारा असहमति व्यक्त की गई है।)

(ग) तालिका 1.c (Soil & Water Conservation) के अन्तर्गत कार्य

1- तालिका 1.c के अन्तर्गत देवदार 273.23 है0 तथा ओक 450.65 है0 वृक्षारोपण आदि का प्राविधान।

(घ) तालिका 1.d (Strengthning of Van Panchayats) के अन्तर्गत कार्य

1- प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के कार्यालय सहित समस्त प्रदेश में वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत रु.800.00 लाख की धनराशि का प्राविधान।

2- प्रत्येक जनपद में कैम्पा के कार्यों के सम्पादन में सिविल सोसाइटी संगठनों की Implementation & Technical Support की सेवाएं प्राप्त करने हेतु मुख्य वन संरक्षक, एन॰टी॰एफ॰पी॰ एवं आजीविका के स्तर पर Anchoring रखते हुऐ प्रत्येक जनपद में प्रभागवार Civil Society Organizations (CSOs) की सेवाएं प्राप्त करने पर अनुमानित लागत रु॰ 5.00 लाख प्रति वर्ष प्रति प्रभाग की दर के आधार पर इस वित्तीय वर्ष में Piloting करने हेतु लगभग रु॰ 105.00 लाख के व्यय का प्राविधान। वन्य जीव क्षेत्रों में मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रशासन एवं इन्टैलीजैन्स) की Anchoring में ऐसी Piloting हेतु प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव के स्तर पर निर्णय लेने के निर्देश दिए गये।

(कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, मुख्य वन संरक्षक–एन॰टी॰एफ॰पी॰, मुख्य वन संरक्षक–वन्य जीव प्रशासन एवं इन्टैलीजैन्स)

(ड) तालिका 1.e (Allied Activities including Research) के अन्तर्गत कार्य

1- REDD+ के अध्ययन हेतु तीन वर्षीय योजना (अनुमानित लागत रु॰ 86.98 लाख) जिसमें प्रथम वर्ष हेतु रु॰11.66 लाख का वर्ष 2012–13 के APO में सिल्वा हिल के स्तर पर प्राविधान।

2- जैविक दबाव के अध्ययन हेतु योजना (अनुमानित लागत रु॰10.00 लाख) जिसमें प्रथम किश्त रु॰2.00 लाख का वर्ष 2012–13 के APO में सिल्वा हिल के स्तर पर प्राविधान।

3- उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद हेतु रु॰125.00 लाख, आई॰टी॰ सैल नये कार्यों हेतु रु॰45.00 लाख, प्रचार–प्रसार हेतु कैम्पा कार्यालय सहित रु॰50.00 लाख, मुख्य वन संरक्षक, एन॰टी॰एफ॰पी॰ हेतु (Benevloent Fund) रु॰112.00 लाख व रिसर्च (सिल्वा साल, सिल्वा हिल) हेतु रु॰104.04 लाख का प्राविधान। स्पर्श गंगा बोर्ड को कैम्पा निधि से धनराशि दिये जाने पर संचालन समिति द्वारा असहमति व्यक्त की गई।

(कार्यवाही: उपरोक्त समस्त सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण)

(च) NPV (Net Present Value) घटक के अन्तर्गत अन्य प्राविधान

1- NPV घटक के अंतर्गत उपरोक्त प्राविधान के उपरान्त रु॰ 600.00 लाख गढ़वाल मण्डल, रु॰ 600.00 लाख कुमांऊ मण्डल तथा रु॰400.00 लाख वन्य जीव परिरक्षण हेतु अर्थात् कुल रु॰ 1600.00 लाख के प्राविधान को संचालन समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। समिति अवगत हुई कि कार्यकारी समिति द्वारा दिनांक 22.06.2012 को स्पष्ट निर्देश निर्गत करने के बावजूद लगभग साढ़े तीन माह बीतने पर भी उक्त धनराशि का प्रभागवार एवं मदवार Break-up का जोन स्तर से अनुमोदन एवं उक्त की Site Specific Planning अभी तक अपेक्षित है एवं उसका विवरण प्रभाग स्तर से CAMPA के MIS में पूर्ण किया जाना है। इस क्रम में समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्बन्धित जोन व प्रभाग स्तर की उक्त धीमी प्रगति को संज्ञान में लेते हुए उपरोक्तानुसार प्रभागवार Break-up जोन स्तर से अनुमोदित कर उपलब्ध कराने व उक्त की Site Specific प्रविष्टि प्रभाग स्तर से एक सप्ताह में पूर्ण करने एवं उक्त कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही कैम्पा कार्यालय से धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश दिए।

(कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ, समस्त वन संरक्षक/निदेशक तथा समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक)

2- उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के स्तर पर रु.100.00 लाख (2% अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु) तथा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के स्तर पर रु.100.00 लाख Contingency एवं रु.100.00 लाख Operational Expenses हेतु प्राविधान को अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

3- रु.442.40 लाख की धनराशि का वर्ष 2012–13 के लिए राजाजी पार्क हेतु NPV घटक में प्राविधान को अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव तथा निदेशक व उप निदेशक–राजाजी राष्ट्रीय पार्क)

<u>2. क्षतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) घटक:–</u>

राज्य कैम्पा के दस वर्षीय प्रोजेक्ट में घटकों व उपघटकों में वर्षवार धनराशि के प्राविधान एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण को प्रथम तीन वर्षो में पूरा करने के लिए 9399 है0 के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2011–12 तक पूर्ण किए गए 4178 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अतिरिक्त शेष लगभग 5221 है0 वृक्षारोपण के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन (10 वर्षीय राज्य कैम्पा प्रोजेक्ट की स्वीकृति के समय तक के क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राविधानित कार्य) स्वीकृत Site Specific Projects के 4681.00 है0 अग्रिम मृदा कार्य व 540.00 है0 वृक्षारोपण कार्य एवं पौधालय कार्य हेतु लगभग रु.1500.00 लाख के प्राविधान को संचालन समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त धनराशि का प्रभागवार एवं मदवार Break-up का जोन स्तर से अनुमोदन एवं उक्त की Site Specific Planning अभी तक अपेक्षित है एवं उसका विवरण प्रभाग स्तर से CAMPA के MIS में पूर्ण किया जाना हैं, उपरोक्तानुसार प्रभागवार Break-up जोन स्तर से अनुमोदित कर उपलब्ध कराने व उक्त की Site Specific प्रविष्टि प्रभाग स्तर से एक सप्ताह में पूर्ण करने एवं उक्त कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही कैम्पा कार्यालय से धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश दिए।

(कार्यवाही: मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ, समस्त वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ मण्डल तथा समस्त प्रभागीय वनाधिकारी–गढ़वाल व कुमांऊ मण्डल)

<u>3. संरक्षित क्षेत्र (Protected Area) घटक:–</u>

अस्कोट वंन्य जीव विहार हेतु रु.100.00 लाख एवं गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क हेतु रु.100.00 लाख की धनराशि का प्राविधान को, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत Approved Site Specific कार्यो को भी प्राविधानित किया जाना है, (जिसका कि Site Specific Planning का विवरण कैम्पा MIS में feed किया जाना अपेक्षित है) को संचालन समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, उप निदेशक–गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क व प्रभागीय वनाधिकारी–पिथौरागढ़ वन प्रभाग)

4. "अन्य" ("Other Specified Activities") घटकः–

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृत Site Specific Projects में Road Side Plantation, Gap filling Plantation एवं Dwarf Spp. Plantation का कार्य निर्धारित है। 10 वर्षीय राज्य कैम्पा प्रोजेक्ट की स्वीकृति के समय तक के वृक्षारोपण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किये जाने के उद्देश्य से रु.800.00 लाख के प्राविधान को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त धनराशि का प्रभागवार एवं मदवार Break-up का जोन स्तर से अनुमोदन एवं उक्त की Site Specific Planning अभी तक अपेक्षित है एवं उसका विवरण प्रभाग स्तर से CAMPA के MIS में पूर्ण किया जाना हैं, उपरोक्तानुसार प्रभागवार Break-up जोन स्तर से अनुमोदित कर उपलब्ध कराने व उक्त की Site Specific प्रविष्टि प्रभाग स्तर से एक सप्ताह में पूर्ण करने एवं उक्त कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही कैम्पा कार्यालय से धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश दिए।

(कार्यवाही: मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ, समस्त वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ मण्डल तथा समस्त प्रभागीय वनाधिकारी–गढ़वाल व कुमांऊ मण्डल)

5. CAT (Catchment Area Treatment) Plans घटकः–

CAT Plans की कुल धनराशि का द्वितीय वर्ष हेतु 19.96% के आधार पर रु.2093.75 लाख के प्राविधान को अनुमोदन प्रदान किया गया एवं निर्देश दिए कि कार्यों के Site Specific नियोजन की CAMPA MIS में Feeding के उपरान्त ही धनराशि सम्बन्धित वन प्रभाग को अवमुक्त की जाय। CAT Plans के क्रियान्वयन हेतु PMU के गठन, समुदाय आधारित Micro Planning करने एवं Detailed Project Report (DPR) बनाने की धीमी प्रगति को संज्ञान में लेते हुए समिति द्वारा निर्देश दिए गये कि प्रथम किश्त के रूप में कुछ धनराशि उक्त कार्यों को पूर्ण करने हेतु कैम्पा निधि से सम्बन्धित प्रभाग को अवमुक्त की जाय तथा दूसरी किश्त उक्त कार्यों के पूर्ण होने की सूचना प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं के स्तर से प्राप्त होने एवं उनकी संस्तुति उपरान्त अवमुक्त की जाय। ऐसी धीमी प्रगति के कारण वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में प्राविधानित रु. 2093.75 लाख के उपयोग की सम्भावना अत्यधिक कम होने की स्थिति में CAT Plans हेतु प्राविधानित धनराशि को तद्नुसार घटाते हुए आवश्यकतानुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 10 वर्षीय कैम्पा प्रोजेक्ट में इंगित क्षतिपूरक वनीकरण (CA), संरक्षित क्षेत्र (PA), "Others" के स्वीकृत एवं लंबित Site Specific कार्यों के सम्पादन को प्राथमिकता दी जाये तदोपरान्त भारत सरकार की कैम्पा गाइड–लाइन के अनुरूप NPV मद में धनराशि को बढ़ाने एवं तद्नुसार Revised APO 2012-13 में सम्बन्धित कार्यमदों में प्राविधान किए जाने के समिति द्वारा निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक–परियोजनाएं, मुंख्य वन संरक्षक–गढ़वाल, वन संरक्षक/निदेशक–गढ़वाल वृत्त, भागीरथी वृत्त, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व तथा प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक–गढ़वाल वन प्रभाग, सिविल सोयम पौड़ी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, बद्रीनाथ वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, अलकनन्दा भू0सं0 प्रभाग, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग)

दैनिक मजदूरी की दरों के बढ़ने के कम में, निर्धारित APO साईज के कुल वित्तीय लक्ष्य को यथावत् रखते हुऐ उक्त के सापेक्ष भौतिक लक्ष्यों को तद्नुसार संशोधित (सीमित/कम करने) करने का अनुमोदन संचालन समिति द्वारा दिया गया।

उपरोक्त प्राविधानों को स्वीकृत करते हुए **समिति द्वारा वर्ष 2012–13 की रु. 10,000.00 लाख की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना का उपरोक्त संशोधनों सहित अनुमोदन प्रदान किया गया** एवं निर्देश दिए गए कि मुख्य सचिव महोदय की ओर से भारत सरकार को इस आशय का पत्र प्रेषित करवाया जाय कि दस वर्षीय राज्य कैम्पा की कुल धनराशि की 10% से अधिक धनराशि उत्तराखण्ड राज्य को अवमुक्त की जाय। राज्य की विषम

भौगोलिक परिस्थितियों व पिछड़ेपन तथा राज्य की कुल भूमि में 65% वन भूमि होने के परिप्रेक्ष्य में वन आधारित रोजगार के कार्य तथा फील्ड स्तर पर वनों को आग से बचाने हेतु समुदाय को वनों से जोड़ने आदि के व्यय कैम्पा निधि से करने की अनुमति प्रदान की जाय।

(कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं समस्त कार्यान्वयन अभिकरण व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

संचालन समिति द्वारा APO 2012–13 के क्रियान्वयन में निम्नानुसार प्रमुख बिन्दुओं को अनुपालन हेतु Re-iterate किया –

(i) समस्त प्रस्तावित कार्यों की Site Specific Planning कर CAMPA MIS में समयबद्ध प्रविष्टि सभी सम्बन्धित क्रियान्वयन स्तरों से सुनिश्चित किया जाना।

(ii) समस्त Supervisory Officers (वन संरक्षक/निदेशक एवं उच्चतर क्षेत्रीय/जोनल अधिकारी) एवं समस्त कार्यात्मक (Functional) मुख्य वन संरक्षकों/अपर प्रमुख वन संरक्षकों/प्रमुख वन संरक्षकों के द्वारा उनके नियंत्रणाधीन इकाइयों अथवा उनसे सम्बन्धित गतिविधियों का समयबद्ध समन्वयन/मार्गदर्शन दिया जाना तथा समय–समय पर फील्ड स्तर पर सम्पादित कार्यों का Primary Level Supervision सुनिश्चित किया जाना। मार्गदर्शन/निरीक्षण टिप्पणी, कैम्पा मुख्यालय सहित अपने उच्चाधिकारियों को भी अवश्य प्रेषित की जाय।

(iii) Achievements की प्रगति को CAMPA MIS एवं TALLY में समयबद्ध रूप से प्रविष्टि किया जाना, जिसके आधार पर CAMPA मुख्यालय द्वारा APO में स्वीकृत प्राविधान के अनुसार आगामी किश्त जारी की जायेगी।

(iv) मार्च, 2013 तक सम्पादित किए जाने वाले कार्यों का यथार्थवादी Site Specific नियोजन किया जाय तथा ऐसा कोई कार्य शुरू नहीं किया जाय जिसकी देनदारी APO 12–13 में मार्च, 2013 के अंत तक पूर्ण न की जा सके।

(v) APO 2011-12 के लम्बित कार्य जिनको कि जून, 2012 के अंत तक पूर्ण कर लिया गया हो लेकिन किसी जायज कारणवश (जो कि क्रियान्वयन अभिकरण के नियंत्रण से बाहर हो) भुगतान न किया जा सका हो अथवा उक्त Ahievement की MIS Entry नहीं की जा सकी हो, ऐसे कार्यों/धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण कैम्पा मुख्यालय भेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही स्वीकृत APO 2012-13 के सापेक्ष MIS में उपलब्धि की प्रविष्टि की जा सकेगी अन्यथा की दशा में ऐसे किसी भी व्यय को अनियमित व्यय की श्रेणी में डाला जायेगा एवं सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।'

(vi) समस्त Site Specific कार्य की Lat/Long. की reading CAMPA MIS में प्रविष्टि की जाय (2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 APO) तथा सम्पादित कार्यों के Photographs भी MIS में upload किए जायें अन्यथा भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में कैम्पा निधि की आगामी किश्त सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण को जारी नहीं की जाएगी।

(vii) समस्त फील्ड क्रियान्वयन अभिकरण में स्वीकृत Site Specific APO कार्यों के सापेक्ष कैम्पा निधि के उपयोग हेतु रेंज स्तर पर कैम्पा का खाता खोला जाय तथा कैश भुगतान बन्द कर नियमानुसार चैक के माध्यम से भुगतान कराया जाय। प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए internal control एवं supervision हेतु समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही: उपरोक्त से सम्बन्धित समस्त अधिकारीगण एवं समस्त कार्यान्वयन अभिकरण व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची संचालन समिति–4.10: उत्तराखण्ड कैम्पा वर्ष 2011–12 की ड्राफ्ट वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन

उत्तराखण्ड कैम्पा के संगम अनुच्छेद के बिन्दु संख्या–34 वार्षिक रिपोर्ट (1) के अनुसार **"संस्था (उत्तराखण्ड CAMPA) प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट प्रारूप तथा अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर वर्ष में संस्था द्वारा किए गए कार्यकलापों को पूर्णतः दर्शाते हुए, वार्षिक विवरणी तैयार करेगी तथा उसकी एक–एक प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को प्रेषित करेगी"**। इस क्रम में उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2010–11 की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करवाई जा चुकी है।

इसी क्रम में वर्ष 2011–12 की ड्राफ्ट वार्षिक रिपोर्ट का संचालन समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

सदस्यगणों के संज्ञान में लाया गया कि गतवर्ष सितम्बर में संचालन समिति की चतुर्थ बैठक प्रस्तावित की गई थी किन्तु चुनाव एवं अन्य आवश्यक शासकीय कार्यों के मद्देनजर शासन स्तर से बैठक की तिथि स्थगित होने के कारण संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2011–12 व प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना 2012–13 को समिति से अनुमोदित कराने में विलम्ब हुआ है। इस क्रम में समिति द्वारा चर्चा कर निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसी परिस्थिति में परिचालन के माध्यम से बैठक कराकर अथवा पत्रावली में संचालन समिति के अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जाए तथा भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में APO के क्रियान्वयन की अवधि वित्तीय वर्ष के आधार पर 01 अप्रैल से 31 मार्च तक रखी जाय एवं आगामी वित्तीय वर्ष का APO प्रत्येक दशा में मार्च माह में अथवा उससे पूर्व अनुमोदित करा लिया जाय।

(कार्यवाही: समस्त जोनल चीफ, समस्त वन संरक्षक/निदेशक तथा समस्त कार्यान्वयन अभिकरण/प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची संचालन समिति–4.11: उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यों की Third Party Monitoring & Evaluation की प्रगति:

समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा की तृतीय संचालन समिति (16.05.2011) की बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु सं॰ 3.13 पर Third Party Monitoring & Evaluation हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने के लिए दिए गये अनुमोदन के क्रम में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा (Bidding) उपरान्त सूचीबद्ध किये गये 3 Institutional Consultants एवं 5 Individual Consultants के माध्यम से वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 APO के निष्पादित कार्यों में से Representative Sampling कर क्रमशः 37 एवं 30 प्रभागों/कार्यान्वयन इकाइयों के कार्यों का Concurrent Monitoring & Evaluation का कार्य कराया गया है। अभी तक प्राप्त समस्त M & E रिपोर्ट को उत्तराखण्ड कैम्पा की Website (http://ukcampa.org) पर रखा गया है तथा सभी सम्बन्धित कार्यान्वयन इकाइयों एवं वन विभाग के उच्चाधिकारियों को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

(कार्यवाही: समस्त जोनल चीफ, मुख्य वन संरक्षक–अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट, समस्त वन संरक्षक/निदेशक एवं वित्त नियंत्रक–वन विभाग तथा समस्त कार्यान्वयन अभिकरण/प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक)

उत्तराखण्ड कैम्पा के MIS व M & E कार्य की व्यवस्था की सदस्यगणों द्वारा सराहना की गई एवं समिति द्वारा निर्देश दिए गये कि Monitoring & Evaluation के कार्य की गुणवत्ता को परखने की भी व्यवस्था की जाय।

(कार्यवाही: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची संचालन समिति–4.12: उत्तराखण्ड कैम्पा के लोगो (Logo) का अनुमोदन

उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.08.2011 में सदस्यगणों के द्वारा संशोधन सहित अनुमोदित किये गये उत्तराखण्ड कैम्पा के लोगो को संचालन समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची संचालन समिति–4.13

(क) उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाइटी को भंग (Disband) किया जाना एवं उत्तराखण्ड कैम्पा का नया नोटिफिकेशन:–

समिति को अवगत कराया गया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एडहॉक कैम्पा), भारत सरकार के पत्र संख्या–1-20/2006-CAMPA दिनांक 15.02.2012 के क्रम में उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाइटी को भंग (Disband) करने एवं उसके नये नोटिफिकेशन को जारी करने का कार्य उत्तराखण्ड शासन स्तर पर विचाराधीन है।

(कार्यवाही: अपर सचिव–वन एवं पर्यावरण)

(ख) उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाइटी भंग करने हेतु प्रस्ताव (Resolution) पास करने के सम्बन्ध में :–

समिति के संज्ञान में लाया गया कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 की धारा–13 के अनुसार सोसाइटी को भंग करने के लिए 60% सदस्यों के द्वारा Resolution पास करने का प्राविधान है तथा उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाइटी को भंग करते हुए उत्तराखण्ड कैम्पा के नये नोटिफिकेशन का कार्य प्रक्रिया में है। अतः इस क्रम में संचालन समिति द्वारा चर्चा उपरान्त निम्नांकित Resolution पास किया गया –

"Uttarakhand CAMPA Steering Committee members (3/5th or more) hereby pass a resolution to recommend to dissolve the society, which could be made effective from the date of new notification regarding Uttarakhand CAMPA Authority in the light of the resolution no. 13 of fourth meeting of National CAMPA Advisory Council dated 25.01.2012 intimated by MoEF, Govt. of India vide No. 1-20/2006-CAMPA dated 15th Feb. 2012"

कार्यसूची संचालन समिति 4.14: कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज राशि के अंतर्गत वर्ष 2012–13 में प्रस्तावित कार्य

1. उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय का प्रबन्धन :–

भारत सरकार से दिनांक 02.07.2009 को राज्य कैम्पा हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों के बिन्दु सं॰–11 (ii) तथा उत्तराखण्ड कैम्पा के संगम अनुच्छेद सं॰ 31(1) (ख) पर निधि के निवेश (संरक्षित क्षेत्रों P.A. की निधि को छोड़कर) पर अर्जित ब्याज के अंश में से संस्था के प्रबन्धन, जिसमें अधिकारी व कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते सम्मिलित हैं, पर होने वाले वर्तनीय एवं अनावर्ती व्ययों पर उपयोग किये जाने का उल्लेख है। इस क्रम में उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के प्रबन्धन पर वर्ष 2012–13 में होने वाले व्यय रु॰ 118.96 लाख के अनुमान का अवलोकन कर **समिति द्वारा** अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

2. विभागीय वाहनों के POL हेतु रु. 70.00 लाख ब्याज राशि से अवमुक्त करने के सम्बन्ध में:–

समिति को अवगत कराया गया कि इस बैठक के कार्यसूची बिन्दु सं. 4.8 में भारत सरकार से कैम्पा निधि के अंतर्गत कतिपय कार्यों को न करने सम्बन्धी पत्र के क्रम में वर्ष 2012–13 के APO में कैम्पा निधि से POL मद में प्राविधान नहीं रखा गया है। वन विभाग के सामान्य बजट में अभी तक POL मद में धनराशि अवमुक्त न होने के कारण फील्ड स्तर पर कार्यों के सम्पादन में हो रही अत्यधिक असुविधा के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा "राजकीय हित में वनों की सुरक्षा, संरक्षण, रोपणों हेतु आवश्यक निरीक्षण – यथा वृक्षारोपण, पौधालय, छपान कार्य तथा अन्य प्रबन्धीय संवर्धन कार्यों के सफल संचालन हेतु वाहनों के अति आवश्यक उपयोग हेतु राजकीय हित को सर्वोपरि रखते हुए तथा अधीनस्थ अधिकारियों के अनुरोध को मद्देनजर रखते हुए रु. 70.00 लाख धनराशि केवल क्षेत्रीय वनाधिकारियों (यथा– अपर प्रमुख वन संरक्षक (कार्ययोजना), मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल व कुमाऊं तथा सभी क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारियों तथा वन्य जन्तु प्रभागों) को धनराशि आवंटित करने के अनुमोदन के सापेक्ष प्रथम किश्त अवमुक्त की जा रही है।

उपरोक्त के क्रम में समिति के संज्ञान में लाया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के प्रबन्धन का कार्य एवं कैम्पा निधि से क्रय किये जाने वाले वाहनों के POL, Driver व अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज राशि से ही किया जाना है। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति (दिनांक 16.05.2011) द्वारा सचिव, वन एवं पर्यावरण की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट, जिसमें उत्तराखण्ड कैम्पा के प्रबन्धन हेतु सृजित किये जाने वाले पदों एवं उत्तराखण्ड कैम्पा निधि से क्रय किये जाने वाले वाहन के POL, Driver व अनुरक्षण आदि पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय कैम्पा निधि द्वारा वहन किया जायेगा एवं राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार निहित नहीं होने का उल्लेख. है। इसके अतिरिक्त दिनांक 12.12.2011 को आयोजित कार्यकारी समिति की षष्ठम बैठक में भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में CUG Plan पर होने वाले व्यय का वहन Capital Fund के बजाए कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज से किया जा रहा है। इस प्रकार आगामी समय में कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज राशि से प्रतिवर्ष निम्नानुसार दीर्घकालीन Committed व्यय अनुमानित है –

CUG Plan	कैम्पा निधि से क्रय होने वाले (250) वाहनों का POL आदि	उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय का प्रबन्धन	योग
रु. 75.00 लाख	रु. 500.00 लाख	रु. 142.00 लाख	रु. 717.00 लाख

इस क्रम में समिति के संज्ञान में यह भी लाया गया कि Ad-hoc CAMPA में नवम्बर, 2009 तक उत्तराखण्ड राज्य की जमा धनराशि का गतवर्षों में लगभग 10 प्रतिशत धनराशि उत्तराखण्ड कैम्पा को प्राप्त हुई जबकि वित्तीय वर्ष 2012–13 के APO हेतु मात्र 7 प्रतिशत (रु. 65.31 करोड़) धनराशि दिनांक 29.06.2012 को प्राप्त हुई तथा आगामी वर्षों में भी इतनी ही धनराशि प्रतिवर्ष प्राप्त होने की सम्भावना है। प्राप्त धनराशि को क्रियान्वयन अभिकरणों को वित्तीय वर्ष के अन्त तक किश्तों में अवमुक्त किया जाता है। इस प्रकार कुल धनराशि पर प्रभावी ब्याज 5 प्रतिशत तक प्राप्त होने के क्रम में प्रतिवर्ष लगभग रु. 3.00 करोड़ ब्याज प्राप्त होना अनुमानित है जो कि उक्त तालिका में अनुमानित वार्षिक व्यय से काफी कम है।

उपरोक्त के क्रम में यह भी स्पष्ट किया गया कि कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज से वन विभाग के विभागीय वाहनों के POL पर व्यय को वहन नहीं किया जा सकता है। अतः यह उचित रहेगा कि प्रथम किश्त में उपलब्ध कराई जा रही धनराशि को बतौर उधार मानते हुए वन विभाग के सामान्य बजट से धनराशि प्राप्त होने पर उक्त अवमुक्त धनराशि को कैम्पा की ब्याज राशि में वापस जमा करवाया जाए।

(कार्यवाही: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

<u>कार्यसूची संचालन समिति 4.15</u>: राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से वित्त पोषित योजना को कैम्पा योजना से जोड़ने (Link/Dovetail) करने के सम्बन्ध में :–

समिति को अवगत कराया गया कि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त तथा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त को सम्बोधित पत्र सं॰–क–592/8–3(6) दिनांक 01.09.2011 में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से वित्त पोषित योजना को कैम्पा योजना से जोड़ने (Link/Dovetail) हेतु निर्गत निर्देशों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग के द्वारा प्रस्तुत पांच वर्ष हेतु रु॰ 198.46 लाख के प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड (NMPB) हेतु रु॰ 142.00 लाख (72%) तथा वन विभाग हेतु रु॰ 55.58 लाख (28%) के प्राविधान में NMPB हेतु प्राविधानित रु॰ 142.00 लाख के सापेक्ष रु॰ 130.01 लाख की स्वीकृति राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इसी क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी के द्वारा प्रस्तुत पांच वर्ष हेतु रु॰ 234.00 लाख के प्रोजेक्ट में NMPB हेतु रु॰ 130.00 लाख (55.56%) तथा वन विभाग हेतु रु॰ 104.00 लाख (44.44%) के प्राविधान में NMPB हेतु प्राविधानित रु॰ 130.00 लाख के सापेक्ष रु॰ 130.00 लाख की स्वीकृति राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

उपरोक्त के क्रम में समिति को यह भी अवगत कराया गया कि उक्त प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन वर्ष 2011–12 से प्रस्तावित है तथा प्रोजेक्ट्स में उपरोक्तानुसार वन विभाग हेतु प्राविधानित की गई धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित वन प्रभाग द्वारा वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु प्राविधान के सापेक्ष कैम्पा निधि से वर्ष 2012–13 के APO में सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा रु॰ 18.00 लाख तथा अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग द्वारा रु॰ 39.31 लाख का कार्यमद 1.e.2.3 में (कार्यकारी समिति द्वारा गढ़वाल मण्डल हेतु NPV घटक में रु॰ 600.00 लाख के प्राविधान के अतिरिक्त) प्राविधान करने का अनुरोध किया गया है।

इस क्रम में समिति के संज्ञान में लाया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा के संगम अनुच्छेद 31 निधि का उपयोग और भुगतान के उपबिन्दु (2) (ग) पर इस प्रकार उल्लेख है – "शुद्ध वर्तमान मूल्य के प्रयोजन हेतु प्राप्त धनराशि प्राकृतिक regeneration, वन प्रबन्धन, संरक्षण, अवस्थापना विकास, वन्य जीव संरक्षण तथा प्रबन्धन, काष्ठ और अन्य वनोपज के पूर्ति की बचाव प्रक्रिया तथा अन्य सम्बद्ध कार्यों पर व्यय की जाएगी"।

उपरोक्तानुसार प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के निर्देशों के क्रम में NMPB के प्रोजेक्ट्स में वन विभाग से Dovetailing की धनराशि के अंश को कैम्पा निधि से Dovetail क़िए जाने हेतु समिति द्वारा चर्चा उपरान्त निर्देश दिए गये कि NMPB के प्रोजेक्ट्स को सम्बन्धित प्रभाग के CAT Plans से Link/Dovetail किया जाय तथा कार्यसूची संख्या 4.9(5) पर हुए निर्णयानुसार CAT Plans हेतु प्राविधानित धनराशि को घटाकर NPV घटक में व्यय प्राविधानित किया जायेगा।

(कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक–परियोजनाएं, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल, वन संरक्षक–गढ़वाल वृत्त, तथा प्रभागीय वनाधिकारी–सिविल सोयम, पौड़ी व अलकनन्दा भू0सं0 वन प्रभाग)

अध्यक्ष संचालन समिति तथा सभी सदस्यों के प्रति बैठक में प्रतिभाग करने के लिए अपना बहुमूल्य समय उपलब्ध कराने तथा अपने मूल्यवान अनुभव एवं ज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किंया गया जिसके उपरान्त उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की चतुर्थ बैठक सम्पन्न हुई।

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा

(आलोक कुमार जैन)
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
एवं अध्यक्ष, संचालन समिति,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

200 वसन्त विहार, फेज–II, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2761077 ई–मेलः ceoukcampa@gmail.com

पत्रांक– 654/संचालन समिति (IV)/2011–12 दिनांक, देहरादून, अक्टूबर 2012

प्रतिलिपि :–

1. *निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्य मंत्री जी एवं अध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।*
2. *निजी सचिव, मा0 वन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 वन मंत्री जी एवं उपाध्यक्ष– शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।*
3. *निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 वित्त मंत्री जी एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।*
4. *निजी सचिव, मा0 नियोजन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 नियोजन मंत्री जी एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।*

19/10/2012
(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक– 654 (1)/सं.स.IV दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं उपाध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
5. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
6. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
7. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत एवं संयुक्त प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
8. प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, कैम्प–चन्द्रबनी, देहरादून।
9. अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक–केन्द्रीय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (मध्य क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय–सैक्टर–एच, पंचम तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
10. अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण/नोडल अधिकारी, वन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
12. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
13. श्री वीरेन्द्र सिंह, सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

19/10/2012

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक– 654 (2)/सं.स.IV दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

1. वन महानिरीक्षक, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार, सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बांस एवं रेशा विकास परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखण्ड।
8. वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड, 85 राजपुर रोड, देहरादून।
9. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप–निदेशक, राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखण्ड।
10. अनुभाग अधिकारी, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।

19/10/12

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।